झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (विविध)–04/2022 - 205

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 16.02.2024

विषयः– **मुख्यमंत्री दाल–भात योजना से संबंधित प्राप्त परिवाद पत्र पर कार्रवाई के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि श्री बुधन महतो, ग्राम–पड़वा, पो0–रजहारा, थाना–पड़वा, जिला–पलामू का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। प्राप्त परिवाद पत्र मुख्यमंत्री दाल–भात योजना के संचालन से संबंधित है।

अतः प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

16/2/24

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\Vinod Sir.docx676

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

Regd.No. 514 / 2006-07

Mob : 9771803700
Mob : 9546997790
Ph : 06560-289426

MATRIBHUMI SEWA SANKALP SANSTHAN

H.O.- Vill- Pandwa, P.O.- Rajhara, Pandwa
Palamau (Jharkhand)-822141

NON PROFIT MAKING SOCIETY REGISTRATION UNDER SOCIETIES REGISTRATION ACT 21, 1860

Ref. No. 01/2024 Date 05/02/2024

सेवा में
श्रीमान अध्यक्ष झारखण्ड एवं राज्य खाद्य आयोग
झारखण्ड सरकार रांची झारखण्ड राज्य आवास
बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल हरमू हाउसिंग
कॉलोनी रांची 834002

241
9.02.2024

विषय:- पलामू जिला में एवं पूरे झारखण्ड में 2010 ई० से शहरी अनुमण्डल स्तर पर एवं प्रखण्ड स्तर पर मुख्यमंत्री दाल भात योजना का केन्द्र का संचालन करने हेतु शुरू किया गया था जो कि केन्द्र का संचालन होते आ रहा है लेकिन पलामू जिला में निविदा के माध्यम से खाद्यान्न की आपूर्ति कराया जाता है जिसका की समय अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 तक था जो कि खाद्यान्न आपूर्ति करने का निविदा समाप्त हो गया है केन्द्र संचालक अपने खर्च से केन्द्र का संचालन कर रहे हैं जो कि अपने खर्च से कितना दिन केन्द्र का संचालन करेंगे जिला आपूर्ति कार्यालय पलामू के लापरवाही के कारण अभी तक निविदा नहीं निकाला गया है जो कि यह योजना गरीबों का महत्वाकांक्षी योजना है यह केन्द्र पर रिक्शा किसान फुटपाथ पे ठेला मजदूरी करने वाले भिखारी पांच रुपये में भोजन दाल भात भरपेट प्राप्त करने वाले ... खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं करना चाहते हैं अब खाद्यान्न केन्द्र को चालू रखना है या बन्द रखना है इसका आदेश भी अक्टूबर 2023 से नहीं मिला है खाद्यान्न आपूर्ति कर्ता का चयन कर अविलम्ब विचार करें

P.T.O.

हुए या पुनः निविदा निकालने का प्रकाशित करते हुए निविदा को स्वीकृत किया जाय इसके विषय में जांच करवाते हुए नियम संगत कार्यवाही करने की मांग करने के सम्बन्ध में जिससे कि महिला समूह के सदस्य केन्द्र का संचालन करते हैं जिससे कि गरीब गुरबा को लाभ मिलता है एवं महिला समूह के सदस्यों को भी रोजी-रोजगार मिलता रहे।

सूचना कर्ता:- मातृभूमि सेवा संकल्प संस्थान पड़वा पलामू के अध्यक्ष एवं समाज सेवी व्यक्ति हूँ।

महाशय

निवेदन पूर्वक कहना है कि यह योजना गरीबों का महत्वाकांक्षी योजना है यह योजना को तो कई केवल से निगरानी करवाते हुए योजना को चलवाना चाहिए यह योजना के केन्द्र पर सबसे गरीब तबके के लोग खाना खाते हैं यह योजना दाल भात पर पाँच रुपये में आम आदमी भरपेट खाना खाते हैं यह गरीबों का खाने पीने वाली योजना है यह योजना ठेकेदारी वाली कालाबाजारी का योजना नहीं है यह योजना है गरीब का पेट भरने वाला योजना है गरीब अगर खाना नहीं खायेगा तो भूखे अपना जान जा सकता है पलामू जिला सुखाड़ के चपेट में है। यह योजना B.J.P के शासनकाल में श्रीमान माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुण्डा जी के द्वारा लागू किया हुआ है लेकिन यहाँ के जिला के पदाधिकारी इस योजना पर ध्यान नहीं दे रहे हैं यहाँ के पदाधिकारी को जिस योजना में जिस स्कीम में मोटा रकम की आमदनी होता है उसी पर विशेष का ध्यान रहता है यह छोटा मोटा योजना पर मोटा रकम की आमदनी नहीं होने का समझ कर ध्यान नहीं दिया जा रहा है P.T.O

(294)

अतः श्रीमान जी से नम्र निवेदन है कि यह योजना को अक्टूबर 2023 से केन्द्र संचालक अपने खर्चे पर संचालन कर रहे हैं। उनका खाद्यान्न की आपूर्ति हो सके एवं मुख्यमंत्री दाल भात योजना का केन्द्र निरन्तर बराबर चलते रहे। जिससे कि गरीब-गुरबों को सस्ते मूल्य पर भोजन का लाभ मिलते रहे एवं महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को भी रोजी रोजगार मिलते रहे जिससे कि केन्द्र संचालक को भी केन्द्र संचालन से हुए आमदनी से अपना घर परिवार का भी जीवन यापन हो सके, इसलिए योजना को जल्द से जल्द खाद्यान्न आपूर्ति करने का खाद्यान्न आपूर्ति करने का अविलंब निर्णय लिया जाए या पुनः खाद्यान्न आपूर्ति करने का बहाल करने हेतु निविदा प्रकाशन करते हुए खाद्यान्न आपूर्ति का निविदा को स्वीकृत जल्द से जल्द करने की कृपा की जाए

पहले का निविदा स्वीकृत का कागजात का छाया प्रति दे रहे हैं जो कि देखा जा सकता है

आपका विश्वासी

Budhan mahto

निवेदक बुधन महतो

ग्राम - पड़वा

पो० - राजहरा

थाना - पड़वा

जिला - पलामू

दाल भात केन्द्र

मो० नं० 9771803700

पिन कोड नं० 822124

(293)

कार्यालय
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,पलामू।
(आपूर्ति शाखा)

ई–मेल:– food.palamu@gmail.com
दूरभाष सं0:–06562–223116

कार्यादेश

विभागीय संकल्प संख्या–3102/, दिनांक 09.10.2014 के द्वारा प्राप्त दिशा–निदेश के आलोक में दिनांक 11.10.2022 को निविदा समिति की आहूत बैठक में मुख्यमंत्री दाल–भात योजना अन्तर्गत संचालित केन्द्रों पर चावल, चना एवं सोयाबड़ी आपूर्ति करने हेतु माह अक्टूबर 2022 से माह सितम्बर 2023 तक के लिए चयनित अभिकर्ता का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	चयनित आपूर्तिकर्ता का नाम एवं पता	सामग्री का नाम	दर / कि0ग्रा0
01	मेहता प्रोजेक्टर्स प्रा0लि0 पण्डवा प्रो0 श्री बुधन मेहता पिता स्व0 हरदेव महतो प्रखंड–पण्डवा मोबाईल नं0 9771803700	01. चावल। 02. चना। 03. सोयाबड़ी।	2175 / प्रति क्विं0 4500 / प्रति क्विं0 6000 / प्रति क्विं0
02	शक्ति शंकर प्र0 गुप्ता पिता वृन्द प्रसाद ग्राम–बैदा कला, प्रखंड–पाटन। मोबाईल नं0 8210615835		
03	सौरभ कुमार गुप्ता (श्याम इन्टरप्राजेज) पिता तुलसी साव ग्राम–भतपुरही, तरहसी। मोबाईल नं0 9097004289		
04	श्रीमति कोमल देवी पति तुलसी साव ग्राम–आबादगंज, मेदिनीनगर, मो0 नं0 9955393864		
05	श्री जितेन्द्र कुमार पिता लंवग साव ग्राम–शहपुर, प्रखंड–चैनपुर, मोबाईल नं0 9905319203		
06	अंशु ट्रेडर्स प्रो0 विनय कुमार पिता मथुरा साव ग्राम–खाटिन, छतरपुर मोबाईल नं 7488887523		

चयनित सभी आपूर्तिकर्ताओं को निम्न प्रकार सामग्री की आपूर्ति किये जाने हेतु केन्द्रवार (शहरी क्षेत्र के केन्द्र को 400 एवं ग्रामीण क्षेत्र तथा रात्रि केन्द्रों को 200 व्यक्ति / प्रतिदिन की दर से) आवंटित किया जाता है :–

क्र0सं0	आपूर्तिकर्ता का नाम	प्रखंड का नाम	केन्द्र का नाम	अनुमंडल स्तर / प्रखंड स्तर पर चयनित संस्था का नाम।
01	मेहता प्रोजेक्टर्स प्रा0लि0 पण्डवा प्रो0 श्री बुधन मेहता पिता स्व0 हरदेव महतो प्रखंड–पण्डवा मोबाईल नं0 9771803700	सदर मेदिनीनगर।	सदर अस्पताल, मेदिनीनगर।	मातृभूमि सेवा संकल्प संस्थान, पंडवा।
		नीलाम्बर–पिताम्बरपुर।	प्रखंड मुख्यालय, नीलाम्बर– पिताम्बरपुर।	संगम स्वयं सहायता समूह, ग्राम–गोपालगंज।
		पांकी	प्रखंड मुख्यालय, पांकी।	समरसता महिला स्वयं सहायता समूह, कोनवाई, पांकी।
		सतबरवा	प्रखंड मुख्यालय, सतबरवा।	आरती महिला स्वयं सहायता समूह, दुलसुलमा।
		मनातू।	प्रखंड मुख्यालय, मनातू।	शंकर स्वयं सहायता समूह, टेटर, मनातू।

02	शक्ति शंकर प्र0 गुप्ता पिता वृन्द प्रसाद ग्राम–बैदा कला, प्रखंड–पाटन। मोबाईल नं0 8210615835	हुसैनाबाद।	रेलवे स्टेशन के नजदीक, जपला।	शांति स्वयं सहायता समूह, ग्राम–विश्वसिया, पो0–जमुआ।
		मोहम्मदगंज।	प्रखंड मुख्यालय, मोहम्मदगंज।	सर्वोदय स्वयं सहायता समूह, भजनिया, मोहम्मदगंज।
		हैदरनगर।	प्रखंड मुख्यालय, हैदरनगर।	सुमन महिला स्वयं सहायता समूह, नोखिला।
		उंटारी रोड।	प्रखंड मुख्यालय, उंटारी रोड।	सखी महिला स्वयं सहायता समूह, सिड़हा, उंटारी रोड।
03	सौरभ कुमार गुप्ता (श्याम इन्टरप्राजेज) पिता तुलसी साव ग्राम–भतपुरही, तरहसी। मोबाईल नं0 9097004289	सदर मेदिनीनगर ।	रेलवे स्टेशन, डालटनगंज।	मां लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, आबादगंज, जेलहाता, सदर मेदिनीनगर।
		पाटन।	प्रखंड मुख्यालय, पाटन।	चांद महिला स्वयं सहायता समूह, ग्राम–केल्हार टोला भंडार, प्रखंड–पाटन।
		पंडवा।	प्रखंड मुख्यालय, पंडवा।	—
		सदर मेदिनीनगर।	रेलवे स्टेशन, डालटनगंज। (रात्रि)।	मां लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, आबादगंज, जेलहाता, मेदिनीनगर। (रात्रि सेवा)।
04	श्रीमति कोमल देवी पति तुलसी साव ग्राम–आबादगंज, मेदिनीनगर। मोबाईल नं0 9955393864	पाण्डू।	प्रखंड मुख्यालय, पाण्डू।	इन्दिरा महिला स्वयं सहायता समूह, पाण्डू।
		मेदिनीनगर।	बैरिया बाजार समिति, मेदिनीनगर।	जय माता दी स्वयं सहायता समूह, सुदना।
		नावाबाजार ।	प्रखंड मुख्यालय, नावाबाजार।	गुलाब आजिविका सखी मंडल, इटको, नावाबाजार।
		चैनपुर।	प्रखंड मुख्यालय, चैनपुर।	देव गणेश महिला स्वयं सहायता समूह, कुदागाखुर्द, चैनपुर।
		चैनपुर।	प्रशिक्षण भवन, शाहपुर।	अपना महिला स्वयं सहायता समूह, चैनपुर।
05	श्री जितेन्द्र कुमार, पिता लंवग साव ग्राम–शहपुर, प्रखंड–चैनपुर। मोबाईल नं0 9905319203	सदर मेदिनीनगर।	सरकारी बस पड़ाव, मेदिनीनगर।	युगसूत्र मोहन सिनेमा रोड, जेलहाता, मेदिनीनगर।
		तरहसी।	प्रखंड मुख्यालय, तरहसी।	रंगोली स्वयं सहायता समूह, तरहसी।
		विश्रामपुर।	प्रखंड मुख्यालय, विश्रामपुर।	विद्या जागृति महिला स्वयं सहायता समूह, बघमनवा, प्रखंड–विश्रामपुर।
		विश्रामपुर न0 परि0	वार्ड संख्या–08	ग्रामीण एवं सामाजिक विकास स्वयं सहायता समूह, विश्रामपुर।
06	अंशु ट्रेडर्स प्रो0 विनय कुमार पिता मथुरा साव ग्राम–खाटिन, छतरपुर मोबाईल नं 7488887523	छतरपुर।	जपला मोड के पास, छतरपुर।	युवा जन जागृति मंडल, छतरपुर।
		नौडीहा बाजार।	प्रखंड मुख्यालय, नौडीहा बाजार।	गुलाब स्वयं सहायता समूह, नौडीहा बाजार।
		हरिहरगंज।	प्रखंड मुख्यालय, हरिहरगंज।	शर्मा स्वयं सहायता समूह, अररूआखुर्द, हरिहरगंज।
		पीपरा।	प्रखंड मुख्यालय, पीपरा।	प्रफुल्ल स्वयं सहायता समूह, सकलदीपा, प्रखंड–पीपरा।

(२३१)

मुख्यमंत्री दाल–भात केन्द्रों पर चावल, चना एवं सोयाबड़ी की आपूर्ति हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ कार्यादेश निर्गत किया जाता है :–

1. मुख्यमंत्री दाल–भात शहरी क्षेत्र के केन्द्रों को प्रतिदिन 80.00 कि0ग्रा0, ग्रामीण क्षेत्र तथा रात्रि में संचालित केन्द्रों को 40.00 कि0ग्रा0 चावल प्रतिदिन की दर से आपूर्ति की जायेगी।
2. सप्ताह में 04 दिन चना एवं 03 दिन सोयाबड़ी प्रति केन्द्र शहरी क्षेत्र में 05 कि0ग्रा0, ग्रामीण क्षेत्र तथा रात्रि में संचालित केन्द्रों को 2.500 कि0ग्रा0 प्रतिदिन प्रति केन्द्र आपूर्ति की जायेगी।
3. प्रत्येक माह सभी संचालित केन्द्रों पर चावल, चना एवं सोयाबड़ी हथालन परिवहन सहित आवश्यक मात्रा में वैध कागजातों वाले ट्रकों एवं मजदूरी की व्यवस्था करेंगे।
4. चावल, चना एवं सोयाबड़ी की आपूर्ति में अनिमियतता के लिए कानूनी रूप से आपूर्तिकर्ता जिम्मेवार होंगे।
5. आपूर्तिकर्ता का कार्य असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय एकरारनामा एवं कार्यादेश रद्द करने के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू स्वतंत्र होगा।
6. यदि न्यायालय द्वारा सजायाक्ता/खाद्यान्न कालाबाजारी मामले में संलिप्तता/काली सूचीबद्ध होने पर या भविष्य में ऐसे मामले संज्ञान में आने पर एकरारनामा एवं कार्यादेश रद्द करने का अधिकार जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू की होगी।
7. संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आपूर्तिकर्ता के माध्यम से आपूर्ति किए गए सामग्रियों का सत्यापन किया जायेगा तथा संचालित दाल–भात केन्द्रों का नियमित पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक माह के 10वीं तारीख को विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. केन्द्र संचालकों द्वारा भंडार पंजी/वितरण पंजी आदि संधारित करना अनिवार्य होगा, जिसका निरीक्षण नियमित रूप से संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। भोजन की गुणवत्ता एवं साफ–सफाई की जांच संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी एवं चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा की जा सकेगी।
9. सभी आपूर्तिकर्ता अपने साथ संबद्ध सभी संचालक/समूह के माध्यम से लाभान्वित किये जाने वाले लाभुकों का शत–प्रतिशत इन्ट्री दाल–भात मोबाईल एप्प में कराना सुनिश्चित करेंगे।
10. चयनित आपूर्तिकर्ता दिनांक 01.11.2022 तक एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पलामू।

ज्ञापांक 1117 /आ0, दिनांक 28.10.22

प्रतिलिपि :– सभी चयनित आपूर्तिकर्ता, पलामू जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी मुख्यमंत्री दाल–भात केन्द्र संचालकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, छतरपुर अनुमंडल/सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सिविल सर्जन, पलामू/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर/छतरपुर एवं हुसैनाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, पलामू को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखंड रांची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– सरकार के अपर सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, पलामू को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पलामू।